अंचल अधिकारी का कार्यालय, तांतनगर।

आदेश फलक

वाद संख्या :- 12 / भू मा वि/2022-23

नाम :- दिलीप डालुडिया
पिता :- स्व० लेडा डालुडिया
मौजा :- रोलाडीह

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
1	2	3
1/6/022	आज दिनांक 1/6/022 को आवेदक दिलीप डालुडिया पिता- स्व लेडा डालुडिया, ग्राम- रोलाडीह के द्वारा मौजा रोलाडीह थाना सं०- खाता सं०- 178, प्लॉट सं०- 782, 783 रकवा- 0.30, 0.06ए, किस्म जमीन में विवाद के संबंध में तलाब निर्माण मे विवाद समाधान हेतु आवेदन किया गया है अतः उक्त के आलोक में ईलाका मानकी/ग्रामीण मुण्डा, अंचल अमीन, राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग दिनांक 15/6/22 तक करें। अभिलेख दिनांक- 15/6/22 को उपस्थापित करें। 1/6/22 अंचल अधिकारी तांतनगर।	
15/6/22	अभिलेख उपस्थापित। ग्रामीण मुण्डा राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है उनके जाँच प्रतिवेदन के अनुसार रोलाडीह निवासी प्रिया (गीता) डालुडिया एवं दिलीप डालुडिया के द्वारा खाता - 178 प्लॉट 782 रकबा 0.30ए० एवं प्लॉट 783 रकबा 0.06ए० मे पूर्व के निर्मित	

के तालाब का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। उक्त प्लॉट रैयती प्लॉट है खतियान में खाता-173 में पाण्डु को सोना का पिता विक्रम के नाम दर्ज है सोना का आवेदक के दादाजी हैं। तालाब निर्मित प्लॉट 782, 783 के चौहद्दी में पूर्व में चमैला डालुंडिया पिता-स्व मनाय डालुंडिया, राम चरन डालुंडिया, पिता-स्व मंगल डालुंडिया, प० में सालुका डालुंडिया पिता-स्व मुटरा डालुंडिया उ० में गिरधारी गोप पिता-स्व मुकुन्द गोप तथा द० में जीवन डालुंडिया पिता स्व संजीत डालुंडिया का घर है। ग्रामीण एवं तालाब के चौहद्दीदारों द्वारा इस बात के लिए तालाब निर्माण का विरोध किया जा रहा है कि यदि गाँव के बीच में तालाब बन गया तो बारिश के मौसम में घरों में पानी घुसने का संभावना है।

ग्रामीण मुण्डा राजस्व उप निरीक्षक और अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया एवं दिनांक 22/6/022 को दोनों पक्षों को ग्रामीण मुण्डा के माध्यम से प्रतिसाक्ष्य दिवस में उपस्थित होने के लिए सूचित किया गया।

अभिलेख दिनांक 22/6/022 को उपस्थापित करें।

[signature]

22/6/022 अभिलेख उपस्थापित।

ग्रामीण मुण्डा एवं दोनों पक्ष दिनांक 22/6/22 को प्रतिसाक्ष्य दिवस में उपस्थित नहीं हो पाये उन्हें पुनः दिनांक 29/6/22 को अगली सुनवाई में उपस्थित होने के लिए ग्रामीण मुण्डा के माध्यम से सूचित किया गया।

अभिलेख दिनांक 29/6/22 को उपस्थापित करें।

[signature]

29/6/22 अभिलेख उपस्थापित।

दिनांक 27/6/22 को दोनों पक्ष सुनवाई हेतु सभी कागजात के साथ के साथ उपस्थित हुये दोनों पक्ष ने अपनी बात रखी प्रथम पक्ष के द्वारा कहा गया कि प्लॉट 782 एवं 783 में पूर्व से तलाब बनी हुई जो मेरे पूर्वजो की जमीन है एवं जिसका वर्तमान में मेरे द्वारा उपयोग किया जा रहा है उक्त प्लॉट में निर्मित तलाब का मैं जीर्णोद्धार कराना चाहता हूँ जिसपर अजीतो व उक्त प्लॉट के मेरदीकरो के द्वारा आपत्ति की जा रही है इस संबंध में ~~मध~~ प्रथम पक्ष दिलीप कालुण्डिया एवं मीरा कालुण्डिया (प्रथम) के द्वारा जमीन के संबंधित कागजात की दिखाई गई जिसका अवलोकन किया गया।

द्वितीय पक्ष के द्वारा अपनी बात कही गई द्वितीय पक्ष द्वारा बतलाया गया कि प्लॉट 782, 783 में निर्मित तलाब वर्तमान में समतल हो चुका है उक्त तलाब को यदि जीर्णोद्धार करके और गहरा किया जाये तो भविष्य में तलाब के किनारे निर्मित घरों में पानी घुसने की सम्भावना है जिस कारण उक्त तलाब के जीर्णोद्धार में आपत्ति हो रही है।

दोनों पक्ष के द्वारा कही गई बातों का अवलोकन किया एवं ग्रामीण मुण्डा [illegible] एवं दोनों पक्षों को पुनः दिनांक 6/7/022 को अगली सुनवाई में उपस्थित होने के लिए सूचित किया गया।

अभिलेख दिनांक 6/7/022 को उपस्थापित करें।

(हस्ताक्षर) 29/06/22

6/7/22 अभिलेख उपस्थापित।

दिनांक 6/7/22 को दोनो पक्ष उपस्थित SO दिनांक 29/6/22 को दोनो पक्ष के बातो का अवलोकन के पश्चात दोनो पक्ष के द्वारा इस बात पर सहमति बनी कि यदि तलाब निर्मित प्लॉट में तलाब के चारो ओर Guard wall बनाई जाये तो तलाब के जीर्णोद्धार में द्वितीय पक्ष को किसी प्रकार का आपत्ति नहीं होगी। इस बात पर प्रथम पक्ष के द्वारा भी सहमति जताई गई।

अतः दोनो पक्ष के राजी होने के पश्चात दोनो पक्ष को आदेश दिया जाता है दोनो पक्ष के सहमति के बाद ली गई निर्णय का अनुपालन करें एवं भविष्य में उक्त प्लॉट में निर्मित तलाब के लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं करें प्रथम पक्ष को निर्देश दिया गया कि भविष्य में उक्त प्लॉट पर यदि कुछ निर्माण करना हो तो उससे पहले अंचल कार्यालय में सूचना दें अन्यथा नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
अतः दोनो पक्ष के सहमति के अनुसार यदि भविष्य में तलाब निर्माण करना हो तो Guard wall बनाने के बाद ही तलाब निर्माण करने का आदेश दी गई।

6/7/22 (हस्ताक्षर)

Digitally signed by ANOJ KUMAR
Date: 2025.06.04 16:49:39 +05:30
Location: 192.168.158.171